

कार्यालय सहायक आयुक्त आबकारी, जिला खरगोन म0प्र0

E-Mail:- deo_kharagone@yahoo.in

विधानसभा अंतरांकित प्रश्न क्रमांक 2019 के प्रश्नों (क) की जानकारी परिशिष्ट -1


क्र	शिकायतकर्ता का नाम/पता	शिकायत का माध्यम	पत्र क्रमांक/दिनांक	जांच प्रतिवेदन क्रमांक/दिनांक	शिकायत का विवरण	शिकायत की स्थिति
1	दिनेश/विनोद पटेल बामन्दी	सी.एम. हेल्पलाईन	915570/22.4.15	1058/27.4.15	देशी मंदिरा दुकान बामन्दी हरिजन बस्ती में तथा रहवासी इलाके में होने से स्थान परिवर्तन करने बाबत ।	देशी मंदिरा दुकान बामन्दी वर्तमान स्थान पर विगत 10 से 15 वर्षों से संचालित होकर परम्परागत श्रेणी की दुकान है तथा ग्रामवासियों से आपूर्ति रहित स्थान के संबंध में चर्चा करने पर ग्रामवासियों द्वारा कोई स्थान नहीं बताया जाने से दुकान का स्थान परिवर्तन नहीं किया गया ।
2	मनोहर त्रिपाठी बामन्दी	सी.एम. हेल्पलाईन	901699/17.4.15	1059/27.4.15	देशी मंदिरा दुकान बामन्दी का स्थान परिवर्तन बाबत	देशी मंदिरा दुकान बामन्दी वर्तमान स्थान पर विगत 10 से 15 वर्षों से संचालित होकर परम्परागत श्रेणी की दुकान है तथा ग्रामवासियों से आपूर्ति रहित स्थान के संबंध में चर्चा करने पर ग्रामवासियों द्वारा कोई स्थान नहीं बताया जाने से दुकान का स्थान परिवर्तन नहीं किया गया ।
3	सरपंच रमीलाबाई एवं उपसरपंच मनोहर मुकाठी	जनसुनवाई	48263/5.5.15	1584/1.6.15	देशी मंदिरा दुकान बामन्दी रहवासी इलाके में होने से स्थान परिवर्तन करने बाबत ।	दुकान का विगत 10 से 15 वर्षों से संचालित होकर परम्परागत श्रेणी की दुकान है । उक्त के संबंध में पंचों क्रमशः चन्नुबाई, उषाबाई, जगदीश, कुणालाल आदि से चर्चा करने पर, उनके द्वारा बताया गया कि कुछ ग्रामवासियों ने स्थान परिवर्तन का विशेष किया तथा कुछ ने समर्थन भी प्रदर्शित किया, तथा इससे स्पष्ट होता है कि, राजनैतिक द्वेष तथा आपसी रंजीश के चलते यह शिकायत की जाना बताया गया ।
4	मनोहर पतिक बामन्दी	सी.एम. हेल्पलाईन	1074272/20.6.15	2061/9.7.15	हरिजन मोहल्ले में स्थित शराब दुकान को अन्यत्र स्थान पर परिवर्तन ग्राम से बाहर करने बाबत	देशी मंदिरा दुकान बामन्दी वर्तमान स्थान पर विगत 10 से 15 वर्षों से संचालित होकर परम्परागत श्रेणी की दुकान है तथा इस संबंध में पूर्व में भी शिकायतों का जांच प्रतिवेदन प्रेषित किया जा चुका है साथ ही राजस्व हित में सत्र के मध्य में दुकान का स्थान परिवर्तन किया जाना उचित नहीं होने से स्थान परिवर्तन नहीं किया गया ।
5	कुणालाल पटेल एवं अन्य ग्रामवासी बामन्दी	जनसुनवाई	55528/2.6.5.15	2421/31.7.15	देशी मंदिरा दुकान बामन्दी का स्थान परिवर्तन नहीं करने बाबत	ग्राम वासियों को वर्तमान में संचालित देशी मंदिरा दुकान बामन्दी के संचालन से कोई अप्ति नहीं होने से तथा दुकान विगत 10 से 15 वर्षों से उसी स्थान पर संचालित होने से परिवर्तन नहीं किया जाने बाबत । शिकायत का निराकरण किया गया ।
6	कमला पति केदारसिंह जवार अध्यक्ष जिला पंचायत खरगोन	जनशिकायत	172/15.6.15	2425/31.7.15	सरपंच रमीलाबाई एवं उपसरपंच मनोहर मुकाठी से प्राप्त शिकायत अनुसार देशी मंदिरा दुकान बामन्दी रहवासी इलाके में होने से स्थान परिवर्तन करने बाबत ।	देशी मंदिरा दुकान बामन्दी वर्तमान स्थान पर विगत 10 से 15 वर्षों से संचालित होकर परम्परागत श्रेणी की दुकान है तथा ग्रामवासियों से आपूर्ति रहित स्थान के संबंध में चर्चा करने पर ग्रामवासियों द्वारा कोई स्थान नहीं बताया जाने से दुकान का स्थान परिवर्तन नहीं किया गया ।




1	2	3	4	5	6	7
7	शिवशम पटेल व समस्त ग्रामवासी बामन्दी	जनशिकायत (झापन)	3063/4. 4.15	2434/31 7.15	देशी मंदिरा दुकान बामन्दी हरिजन बस्ती में तथा रहवासी इलाके में होने से स्थान परिवर्तन करने बाबत ।	देशी मंदिरा दुकान बामन्दी वर्तमान स्थान पर विगत 10 से 15 वर्षों से संवाहित होकर परम्परागत श्रेणी की दुकान है तथा ग्रामवासियों से आपत्ति रहित स्थान के संबंध में चर्चा करने पर ग्रामवासियों द्वारा कोई स्थान नहीं बताया जाने से दुकान का स्थान परिवर्तन नहीं किया गया ।
8	सरपंच / उपसरपंच ग्राम पंचायत बामन्दी	जनसुनवाई	139764/ 22.3.16	1971/8. 5.16	देशी शराब दुकान अनुसूचित जाति की बस्ती में होने से ग्रामीणों को परेशानी होने बाबत	देशी मंदिरा दुकान बामन्दी वर्तमान स्थान पर विगत 10 से 15 वर्षों से संवाहित होकर परम्परागत श्रेणी की दुकान है तथा ग्रामवासियों से आपत्ति रहित स्थान के संबंध में चर्चा करने पर ग्रामवासियों द्वारा कोई स्थान नहीं बताया जाने से दुकान का स्थान परिवर्तन नहीं किया गया ।
9	ग्राम पंचायत बामन्दी व समस्त ग्रामवासी	जनसुनवाई	165235/ 7.6.16	2340/21 6.16	देशी मंदिरा दुकान का स्थान परिवर्तन के पश्चात शराब दुकान अनुसूचित स्थान पर खोलने के संबंध में	देशी मंदिरा दुकान बामन्दी जिला स्थान पर 10 से 15 वर्षों में स्थापित रही है उसका स्थान परिवर्तन ग्राम सरपंच, ग्रामवासियों के हित में, ग्राम सरपंच, एवं ग्रामवासियों की सहमति से उक्त दुकान वित्तीय वर्ष 2016-17 में सामान्य प्रयुक्त नियमों के अन्तर्गत आपत्तिरहित स्थल पर स्थापित करावा दी गई है । लायसेंस द्वारा भवन स्वामी/भूमि स्वामी से दुकान का एग्जीमेन्ट करावा लिया गया है
10	ग्राम पंचायत बामन्दी व समस्त ग्रामवासी	जनसुनवाई	165323/ 7.6.16	2342/21 6.16	देशी मंदिरा दुकान का स्थान परिवर्तन नहीं किया जाने बाबत ।	देशी मंदिरा दुकान बामन्दी जिला स्थान पर गत वर्षों में स्थापित रही है उस स्थान से नवीन वर्तमान स्थान पर मंदिरा दुकान के संवाहन से शासन के हित में निर्णय लिया गया है । इस संबंध में कुछ ग्रामवासियों को विरोध है परन्तु उसका स्थान परिवर्तन ग्राम सरपंच, ग्रामवासियों के हित में, ग्राम सरपंच, एवं ग्रामवासियों की सहमति से उक्त दुकान वित्तीय वर्ष 2016-17 में सामान्य प्रयुक्त नियमों के अन्तर्गत आपत्तिरहित स्थल पर स्थापित करावा दी गई है । लायसेंस द्वारा भवन स्वामी/भूमि स्वामी से दुकान का एग्जीमेन्ट करावा लिया गया है
11	शमेश्वर यादव ग्राम बामन्दी	सी.एम. हेल्पलाईन	2201384 /17.6.16	2344/21 6.16	देशी मंदिरा दुकान शा.कन्या मा.वि. के पास अवैध मंदिरा दुकान खोलने बाबत	देशी मंदिरा दुकान पूर्व में हरिजन बस्ती में एवं ग्राम के मध्य में स्थित होने के कारण कुछ ग्रामीणों के विरोध के कारण दुकान का स्थान परिवर्तन किया जाकर वर्तमान स्थान पर संवाहित की गई है । जो कि ग्राम सरपंच, एवं ग्रामवासियों की सहमति से उक्त दुकान वित्तीय वर्ष 2016-17 में सामान्य प्रयुक्त नियमों के अन्तर्गत आपत्तिरहित स्थल पर स्थापित करावा दी गई है । लायसेंस द्वारा भवन स्वामी/भूमि स्वामी से दुकान का एग्जीमेन्ट करावा लिया गया है



1	2	3	4	5	6	7
12	रामेश्वर यादव ग्राम बामन्दी	सी.एम. हेल्पलाईन	2244906 /25.6.16	2396 / 25 .6.16	देशी मंदिरा दुकान शा.क.या मा.वि. के पास अवैध मंदिरा दुकान खोलने बाबत	देशी मंदिरा दुकान पूर्व में हरजिन बस्ती में एवं ग्राम के मध्य में स्थित होने के कारण कुछ ग्रामीणों के विशेष के कारण दुकान का स्थान परिवर्तन किया जाकर वर्तमान स्थल पर सदाविरत की गई है । जो कि ग्राम सरपंच, एवं ग्रामवासियों की सहमति से उक्त दुकान वित्तीय वर्ष 2016-17 में सामान्य प्रयुक्त निचमों के अन्तर्गत आपत्तिरहित स्थल पर स्थापित करा दी गई है । लायसेंसी द्वारा भवन स्वामी/भूमि स्वामी से दुकान का एग्जीनेट करा लिया गया है । जाचकर्ता अधिकारी द्वारा जांच में यह पाया कि बामन्दी देशी मंदिरा दुकान म.प्र. आबकारी अधिनियम के तहत सामान्य प्रयुक्त निचमों के तहत परम्परागत श्रेणी की दुकान थी अतः पिछले वित्तीय वर्ष 2015-16 में परिवर्तन सम्भव नहीं था । परन्तु नवीन वित्तीय वर्ष 2016-17 में बामन्दी शराब दुकान का स्थान परिवर्तन नवीन लायसेंसी द्वारा सरपंच, एवं ग्राम वासियों की सहमति से शिकायत जाचकर्ता अधिकारी आबकारी उपनिरीक्षक से समझ की उपस्थिति में सामान्य प्रयुक्त निचमों के तहत लायसेंसी के उत्तरदायित्व पर आपत्ति रहित स्थान पर स्थापित करवाया गया है तथा लायसेंसी द्वारा उपरोक्त नवीन स्थान दुकान स्थापना के लिये भवन स्वामी/ भूस्वामी से एग्जीनेट भी प्रस्तुत किया गया है । शिकायत में संलग्न राजस्व निरीक्षक तहसील की जांच रिपोर्ट में यह तथ्य है कि स्थल पर देशी शराब दुकान का हल्का भाग 13 बाय 23 फिट खसरा नम्बर 353 मद शासकीय भूमि में स्थित है तथा शेष दुकान का खुला भाग 18 बाय 23 फिट में से पेडी भाग 15 बाय 9 फिट खसरा नम्बर 354/1 निजी भूमि में स्थित है तथा शेष भाग 3 बाय 9 फिट खसरा नम्बर 353 शासकीय भूमि में स्थित है । नायब तहसीलदार द्वारा धारा 248के तहत राजस्व प्रकरण क्रमांक 14-अ-68/2014-15 पंजीबद्ध किया जाकर आदेश दिनांक 10.10.2016 अनुसार रुपये 10000/- (दस हजार) अर्शदण्ड अरोपित किया जाकर बेदखल किया जाने का आदेश पारित किया गया तदप्रश्नात दिनांक 25.11.2016 को मौके पर से देशी मंदिरा दुकान का अतिक्रमण पूर्ण रूप से हटाया गया है । मौके पर अतिक्रमण हटाया जाकर मौका पंचनामा की प्रति संलग्न है ।
13	रामेश्वर यादव ग्राम बामन्दी	जानशिकायत	1680 / 26. 10.16		मंदिरा दुकान शासकीय भूमि पर संयालित होने बाबत	


अनुरुपा अधिकारी
 राज्य प्रदेण लक्ष्मिबालम
 बालिकाशिक्षक क. विभाग,
 राजस्थान वि.क. (राज्या)
 जयपुर

दस्तावे


 सहायक आयुक्त आबकारी,
 जिला - खरगोन (म.प्र.)